

बिहार विधान सभा सचिवालय

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

NIT No.- 12/2024

बिहार विधान सभा सचिवालय की निष्प्रयोजित निम्नलिखित 7 पुरानी गाड़ियों की सार्वजनिक नीलामी "जहां है, जैसे है के आधार पर" दिनांक-16.12.2024 को को 11:30 बजे पूर्वा० में सभा सचिवालय स्थित उपभवन के सभागार में होगी:-

क्रम सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	क्रय वर्ष	न्यूनतम मूल्य
1	BR01PH-7634	Scorpio(S6)	2017	4,50,000
2	BR01PH-7635	Scorpio(S6)	2017	4,50,000
3	BR01PH-7636	Scorpio(S6)	2017	4,50,000
4	BR01PH-7637	Scorpio(S6)	2017	4,50,000
5	BR01PJ-0484	Scorpio(S6)	2018	4,50,000
6	BR01PJ-0485	Scorpio(S6)	2018	4,50,000
7	BR01PE-8405	Luxury Mini Bus	2017	7,50,000

नीलामी की जाने वाली गाड़ियों की विस्तृत सूची एवं इससे संबंधित शर्तें :-

- उपर्युक्त गाड़ियों के क्रमांक 1 से 6 के लिए प्रति गाड़ी जमानत राशि/अर्नेस्ट मनी के रूप में प्रति गाड़ी 25,000/- रू० तथा क्रमांक 7 के लिए जमानत राशि/अर्नेस्ट मनी 50,000/-रू० की दर से नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों/एजेंसियों को ड्राफ्ट अथवा कैश के रूप में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में दिनांक-09.12.2024 से 12.12.2024 को 05:00 बजे अपराह्न तक जमा करना होगा।
- बैंक ड्राफ्ट डी०डी०ओ० बिहार विधान सभा के पदनाम से भुगतये होगा।
- प्रत्येक गाड़ी की नीलामी की प्रक्रिया अलग-अलग की जाएगी।
- अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को गाड़ी की नीलामी दी जाएगी।
- नीलामी में सफल व्यक्ति/एजेंसी को अधिकतम डाक मूल्य की 25 प्रतिशत राशि उसी दिन सभा सचिवालय में जमा करनी होगी।
- नीलामी के संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा निदेशक के दूरभाष संख्या-0612 2215027 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है तथा गाड़ियों का भौतिक रूप से अवलोकन भी किया जा सकता है।

अन्य शर्तें:-

1. नीलामी के पश्चात् दिनांक-23.12.2024 तक अधिकतम डाक मूल्य की शेष राशि जमा कर गाड़ी को बिहार विधान सभा परिसर से उठाव कर लेना पड़ेगा।
2. अधिकतम डाक मूल्य बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी, डाक मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा बोली की कुल राशि नियत समय तक सभा सचिवालय में जमा नहीं करते हैं अथवा समय सीमा के अंदर शेष 75 प्रतिशत राशि जमा कर नीलाम की गई गाड़ियों का उठाव नहीं करते हैं तब वैसी स्थिति में दूसरे उच्चतर डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को स्वतः मान्य होगी, साथ ही अग्रधन की राशि उन्हें वापस नहीं की जाएगी।
3. सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर, जो भारत के नागरिक हैं, नीलामी में भाग ले सकते हैं।
4. बिना कारण बताए इस नीलामी को रद्द करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को होगा।

विकाश कुमार
06.12.24

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।